311

संख्या /XII/2012/82(01)/2011

प्रेषक,

कुणाल शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–टिहरी गढवाल।

पंचायतीराज अनुभागः देहरादून दिनांक 21 मई, 2013

विषयः– पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत विकास निधि मद हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 में की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–N-11019/1410/2012-BRGF-(I) दिनांक 28.03.2013, पत्र संख्या–N-11019/1410/2012-BRGF (II) दिनांक 28.03.2013 तथा पत्र संख्या–N-11019/1410/2012-BRGF (III) दिनांक 28.03.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत विकास मद हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत पत्र संख्या–N-11019/1410/2012-BRGF-(III) दिनांक 28.03.2013 **द्वारा रु0 7.81 करोड सामान्य अंश में तथा** पत्र संख्या–N-11019/1410/2012-BRGF (I) दिनांक 28.03.2013, **द्वारा रु0 1.32 करोड अनुसूचित जाति अंश में** पत्र संख्या–N-11019/1410/2012-BRGF (II) दिनांक 28.03.2013 द्वारा **रु0 0.01 करोड अनु0 जनजाति अंश में अर्थात् कुल धनराशि रू. 9.14 करोड़ (रू. नौ करोड चौदह लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2013–14** के सापेक्ष प्राविधानित धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिये निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय, स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्वान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रौक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा भारत सकरार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों (योजना की गाइड लाईन्स) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित जनपद के कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय समय पर शासन को अवगत कराया जाए।

8– बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रुल्स, डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें अथवा टेन्डर/ कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

9– वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अब तक की अवशेष राशि व वर्तमान में दी जा रही धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम आयोजनागत–101–पंचायतीराज–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि–42–अन्य व्यय हेतु **रू. 7.81 करोड़ (रू. सात करोड इक्यासी लाख मात्र)।**

अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम –आयोजनागत–101–पंचायतीराज–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा केन्द्र पुरोनिधनित योजनायें –0101–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत **रुपये 1.32 करोड़ (रू. एक करोड बत्तीस लाख मात्र)।**

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–00–796– जनजाति क्षेत्र उपयोजना–11–पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता हेतु **रूपये 0.01 करोड (रूपये एक लाख मात्र)** की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जाएगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर से जनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आंवटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 284/XXVII(1)2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(कुणाल शर्मा)
सचिव।

संख्या 1546 (1) /XII/2012/82(1)/2011तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस सी0–1105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निदेशक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून/वित्त–1।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
8. विभागीय पत्रावली/समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव।